न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 12/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.श्रीराम उर्फ रामूराम पुत्र नन्दराम उर्फ नवलाराम जाति जाट, निवासी श्रीरामवाला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन 2.मदनलाल 3.हीराराम 4.शांति पि. नन्दराम 5.चूनीदेवी पत्नि नन्दराम 6.अचलाराम पुत्र धनाराम 7.लासीदेवी पत्नि पूनमाराम, जाति जाट, निवासी श्रीरामवाला 8.रामस्वरूप पुत्र भेराराम 9.रमेश पुत्र भेराराम फौत के का.मु. :– 9/1.लेहरी पत्नि रमेश 10.रम्भादेवी पत्नि भेराराम 11.मदाराम 12.गुणेशाराम पि.आसूराम 13.इसराराम पुत्र निम्बाराम 14.चतरू पत्नि निम्बाराम, जाति जाट, निवासी पावड़ों का तला, तहसील चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री जगदीश पोटलिया**

विप्रार्थीगण :– **श्री फताराम गोदारा (विप्रार्थी सं. 2 से 6 व 8 से 14)**
श्री विक्रमसिंह भाटी (विप्रार्थी सं. 7)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 08.12.2021

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा श्रीरामवाला, तहसील चौहटन में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 125 रकबा 164.04 बीघा, खसरा सं. 124 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 128 रकबा 33.12 बीघा एवं मौजा धनाणियों का तला में खसरा सं. 220 रकबा 108.02 बीघा का आया हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:48:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के पिता को नवल[illegible] नामों से जाना जाता था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मौजा श्रीरामवाला, तहसील चौहटन में प्रार्थी की ख[illegible] भूमि खसरा सं. 125 रकबा 164.04 बीघा, खसरा सं. 124 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 128 रकबा 33.12

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

बीघा एवं मौजा धनाणियों का तला में खसरा सं. 220 रकबा 108.02 बीघा में प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम दर्ज हुआ, जो सही नहीं है। सही नाम नन्दराम उर्फ नवलाराम पुत्र धनाराम है। प्रार्थी के नाम व अन्य दस्तावेजों में उसका वास्तविक नाम श्रीराम उर्फ रामूराम पुत्र नवलाराम दर्ज है।

अतः प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मौजा श्रीरामवाला, तहसील चौहटन में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 125 रकबा 164.04 बीघा, खसरा सं. 124 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 128 रकबा 33.12 बीघा एवं मौजा धनाणियों का तला में खसरा सं. 220 रकबा 108.02 बीघा में प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम के स्थान पर नन्दराम उर्फ नवलाराम राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2 से 6 एवं 8 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी वकील के निवेदन पर उपरोक्त दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। विप्रार्थी सं. 07 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी सं. 2 से 14 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। अपने इकबालिया जवाब में उन्होनें बताया कि प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम की जगह नन्दराम उर्फ नवलाराम किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है। तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के केम्प श्रीरामवाला में पेश हुई। प्रार्थी मय वकील उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 2, 5, 6, 7, 13 उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 2 से 6 व 8 से 14 के वकील उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को सुना गया। प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम की जगह नन्दराम उर्फ नवलाराम किया जाता है तो किसी को कोई आपति नहीं है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम उर्फ नवलाराम दुरस्त करने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली का अध्ययन [illegible] पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर [illegible] प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 1[illegible] RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा श्रीरामवाला, तहसील चौहटन में प्रार्थी की खाते[illegible] भूमि खसरा सं. 125 रकबा 164.04 बीघा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:48:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

खसरा सं. 124 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 128 रकबा 33.12 बीघा एवं मौजा धनाणियों का तला में खसरा सं. 220 रकबा 108.02 बीघा में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम के स्थान पर नन्दराम उर्फ नवलाराम राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प श्रीरामवाला में मजमें आम सुनाया गया ।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम - II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:48:35 IST
Reason: SelfAttested